न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1782–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.4.13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना प्रकरण कमांक 01/12–13/स्व. निगरानी.

———

निसारूद्दीन पुत्र नबाव खां,
निवासी ग्राम डबेरा, तहसील सबलगढ़
जिला मुरैना म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती प्रमिला देवी पत्नी कृष्णपाल सिंह
निवासिन ग्राम टपरा कुल्होली तहसील सबलगढ़
जिला मुरैना म.प्र.

2– मुरारीलाल पुत्र मनोहर वैश्य,
निवासी दीवान पैलेस के पास, सबलगढ़
तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना म.प्र. ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी ।
अनावेदक कं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 17-04-15 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 01/12–13/स्व. निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22.4.13 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165(7) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा अनावेदक कमांक 2 मुरारीलाल पुत्र मनोहरलाल जाति वैश्य को तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–12–78 को दस्तु पीड़ित के आधार पर प्रदान किया गया, जिसे अनावेदक कमांक 2 द्वारा अनावेदक कमांक 01 के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय किया गया है । आवेदक द्वारा विकय पत्र को गलत, अवैध एवं बिना अनुमति के संपादित किए

जाने से विक्रयपत्र शून्य घोषित कर पट्टा निरस्त किए जाने की याचना की गई । कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन के आधार पर प्रकरण स्व. निगरानी में पंजीबद्ध किया जाकर अनावेदकों को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया। कारण बताओ सूचनापत्र का उत्तर अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत किया गया, तदुपरांत कलेक्टर ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया है । कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अभिलेख से यह प्रमाणित है कि विवादित भूमि का पट्टा अनावेदक क्रमांक 2 को दिया गया है ऐसी स्थिति में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता था किंतु इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अनावेदकक्र.2 द्वारा अनावेदक क्र. 1 को भूमि का विक्रय किया गया है जो संहिता की धारा 165(7)(ख) के प्रावधानों के विपरीत है । इस कारण जो विक्रयपत्र है वह अवैध है । कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ न्यायालयों के अवधारणों पर बिना विचार कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्ती योग्य है ।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अनावेदक क्रमांक 2 को वर्ष 78 में दस्तु पीड़ित के आधार पर पट्टा दिया गया था । अनावेदक क्र. 2 द्वारा अनावेदक क्र. 1 के पक्ष में दिनांक 24–6–10 को अर्थात 32 वर्ष बाद भूमि का विक्रय किया गया है । अनावेदक क्र. 2 के पक्ष में दिए गए उक्त पट्टे को 35 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 2 प्रकरण में एकपक्षीय है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत इस आवेदन पर से कि अनावेदक क्रमांक 2 मुरारीलाल पुत्र मनोहरलाल जाति वैश्य को तहसीलदार द्वारा दिनांक 5–12–78 को दस्तु पीड़ित के आधार पर पट्टा प्रदान किया गया, जिसे

अनावेदक कमांक 2 द्वारा अनावेदक कमांक 01 के पक्ष में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के विकय किया गया है । आवेदक द्वारा विकय पत्र को गलत, अवैध एवं बिना अनुमति के संपादित किए जाने से विकयपत्र शून्य घोषित कर पट्टा निरस्त किए जाने की याचना की गई । उक्त आवेदन पर से प्रकरण प्रकरण स्व. निगरानी में पंजीबद्ध किया जाकर उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है । कलेक्टर ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अनावेदक कमांक 2 द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित विकयपत्र दिनांक 24–6–10 के आधार पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क. 1 द्वारा एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई जो उन्होंने उभयपक्ष की सुनवाई उपरांत स्वीकार की एवं प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया है । इस आदेश को आवेदक द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है । कलेक्टर ने यह पाया भी पाया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त किया गया है तथा उसे हितबद्ध पक्षकार भी नहीं माना गया है । कलेक्टर ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि तहसीलदार, सबलगढ़ के न्यायालय में नामांतरण कार्यवाही प्रचलित है आवेदक के आवेदन को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर